अध्याय-9
बंधुआ श्रमिक

9.1 बंधुआ श्रम प्रथा बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के साथ ही 25 अक्तूबर, 1975 से पूरे देश में समाप्त हो गई है। यह सभी बंधुआ श्रमिकों को समान रूप से मुक्त कराता है ओर साथ ही उनके ऋणों का परिसमापन भी कराता है। यह बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध बनाता है।

9.2 यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- इस अधिनियम के लागू होने पर बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त हो जाएगी तथा प्रत्येक बंधुआ श्रमिक मुक्त तथा बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा।
- किसी प्रथा, करार अथवा अन्य दस्तावेज जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम के रूप में किसी को सेवा देना अनिवार्य होगा, अमान्य होगा।
- बंधित ऋण को चुकाने की देयताओं को समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।
- बंधुआ श्रमिकों की जायदाद गिरवी आदि से मुक्त होगी ।
- मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को उनकी गृह भूमि से अथवा रिहायसी परिसरों से बेदखल नहीं किया जाएगा जिस पर वह बंधुआ श्रमिक के रूप में रह रहा था ।
- जिलाधीशों को इस अधिनियम के प्रावधान क्रियान्वित करने के लिए कतिपय कर्त्तव्यों ओर जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया है।
- जिला तथा उप जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाने की जरूरत होगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में एक निर्धारित अवधि जो 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि 2000/-रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई हेतु न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियां कार्यकारी दंडाधिकारी को सौंपी जाएंगी । अपराधियों की इस अधिनियम के अंतर्गत सरसरी तौर पर न्यायिक जांच की जा सकती है ।
- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानती होगा।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम

9.3 राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पूनर्वास के लिए मई, 1978 में केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की थी । इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर आधार पर (50:50) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना स्कीम में बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने के लिए जिले-वार सर्वे कराने, जागरूकता सृजन क्रियाकलापों और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100% सहायता मुहैया कराने हेतु मई, 2000 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पुनर्वास अनुदान को भी प्रति पहचान किए गए बंधुआ श्रमिक को 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 20,000/-रुपये प्रति पहचान किए गए बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है। इसके अलावा, सात(7) पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपना बराबर का अंशदान मुहैया कराने में असफल रहते हैं तो 100% पुनर्वास सदस्यता प्रदान की जाती है।

9.4 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम को अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.जीएस.आर.वाई.),अनुसूचित जाति, जनजाति योजना आदि के लिए विशेष संघटक योजना आदि के साथ एकीकृत करें/जोड़ें। तदनुसार, छुड़ाये गए बंधुआ मजदूरों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित बड़े घटक भी शामिल हैं:

- मकान- स्थान तथा कृषि भूमि का आबंटन;
- भूमि विकास;
- कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान;
- पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, सूअर पालन इत्यादि;
- नई कुशलता प्राप्त करने तथा वर्तमान कुशलता का विकास करने हेतु प्रशिक्षण;
- मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का प्रवर्तन;
- लघु जंगल उत्पादों को एकत्र करना तथा प्रोसेस करना;
- लक्षित जन वितरण पद्धति के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
- बच्चों को शिक्षित करना; तथा
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा;

9.5 जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है 30.11.2005 तक पहचान किए गए/छुड़ाए गए तथा पुनर्वास किए गए बंधुआ मजदूरों तथा उपरोक्त उल्लिखित केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा **तालिका 9.1** में दिया गया है।

9.6 इसके अलावा, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और उत्तरांचल को 31.3.2006 तक बंधुआ बच्चों का सर्वेक्षण कराने, मूल्यांकन अध्ययन कराने और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए 420.00 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई ।

विशेष ग्रुप

9.7 पी एम ओ के अनुसरण में, सचिव(श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक विशेष ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान(डी जी फासली), रेलवे तथा शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो वर्ष के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी, मसूरी, तिरूवनंतपुरम और अहमदाबाद में छः क्षेत्र-वार बैठकों का आयोजन किरके बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की भूमिका

9.8 उच्चतम न्यायालय ने पी यू सी एल बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्यों के मामले में अपने दिनांक 11.11.1997 के आदेश में निदेश दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को बंधुआ मजदूर से संबंधित मुद्दे के पयर्वेक्षण में शामिल किया जाए। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में एन एच आर सी में एक केन्द्रीय ग्रुप का गठन किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से यह ग्रुप बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों और अन्य कार्यकारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य

मुख्यालयों पर बंधुआ श्रमिकों के बारे में सुग्राही करण कार्यशाला का आयोजन करता रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसी चार सुग्राही करण कार्य शालाएं आयोजित की गई हैं ।

9.9 **सारणी 9.2** दर्शाती है कि विभिन्न गरीबी उन्मूलक कार्यक्रमों, जागरूकता, सुग्राही करण आदि के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए समेकित प्रयासों के फलस्वरूप राज्यों से बंधुआ श्रमिकों की घटना में कमी आ रही है।

*****

बंधुआ श्रमिक वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

सारणी 9.1

31.3.06 और 2006-2007 (30.11.2006) के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत पहचान किए गए मुक्त कराए गए ओर पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या					
	31.3.2006 तक पहचान किए गए और मुक्त कराये गए	2006-07 के दौरान 30.11.2006 तक पहचान किए गए मुक्त कराए गए	31.3.06 तक पुनर्वासिता	2006-07 के दौरान 30.11.06 तक पुनर्वासित	31.3.06 तक मुहैया करायी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	2006-07 के दौरान 30.11.06 तक मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	37,988	-	31,534	-	850,00	-
बिहार	13,792	-	12,974	-	403,38	-
कर्नाटक	63,437	-	57,185	-	1578,18	-
मध्य प्रदेश	13,125	-	12,200	-	164.49	-
उड़ीसा	50,029	-	46,901	-	903.34	-
राजस्थान	7,488	-	6,331	-	72.42	-
तमिलनाडु	65,573	-	65,573	-	1661.94	-
महाराष्ट्र	1,404	-	1,325	-	10.10	-
उत्तर प्रदेश	28,385	58	28,385	58	593.32	5.80-
केरल	823	-	710	-	15.56	-
हरियाणा	582	-	80	-	4.03	-
गुजरात	64	-	64	-	1.01	-
अरूणाचल प्रदेश	3526	-	2,992	-	568.48	-
छत्तीसगढ़	124	-	124	-	12.40	-
पंजाब	69	-	69	-	6.90	-
उत्तरांचल	5	-	5	-	0.50	-
झारखंड	196	-	196	-	19.60	-
पश्चिम बंगाल	32	-	32	-	3.20-	-
कुल	2,86,612	58	2,66,680	58	6868.42	5.80

सारणी 9.2

वर्ष	सूचित बंधुआ श्रमिकों की घटना
1997-1998	**6000**
1998-1999	**5960**
1999-2000	**8195**
2000-2001	**5256**
2001-2002	**3929**
2002-2003	**2198**
2003-2004	**2465**
2004-2005	**866**
2005-2006	**397**
2006-07 (30.11.2006 तक)	**58**

******